हिन्दुस्तान

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

ERC NCTE से मान्यता प्राप्त एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से सम्बद्धता प्राप्त डी॰एल॰एड॰ कोर्स संचालित संस्थान के प्राचार्य एवं संबंधितों को डी॰एल॰एड॰ परीक्षा वर्ष, 2025 हेतु जमा किये गए ऑनलाईन परीक्षा आवेदन प्रपत्र से संबंधित डमी प्रवेश पत्र में त्रुटि सुधार के संबंध में आवश्यक सूचना

एतद् द्वारा ERC NCTE से मान्यता प्राप्त एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से सम्बद्धता प्राप्त सरकारी एवं निजी प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्य एवं संबंधितों को सूचित किया जाता है कि समिति की प्रसारित विज्ञप्ति संख्या– पी॰आर॰ 92/2025 एवं पी॰आर॰ 104/2025 द्वारा दिनांक 15.04.2025 से 08.05.2025 तक की अवधि में ऑनलाईन माध्यम से जमा किये गये परीक्षा आवेदन पत्र से संबंधित डमी प्रवेश पत्र समिति की वेबसाईट **http://secondary.biharboardonline.com** पर **दिनांक 13.05.2025 से 17.05.2025 तक** त्रुटि संशोधन हेतु अपलोड रहेगा। उक्त अवधि में संबंधित संस्थान के प्राचार्य अपने संस्थान के विद्यार्थियों का डमी प्रवेश पत्र समिति की वेबसाईट से तीन प्रति में डाउनलोड कर दो प्रति अपने हस्ताक्षर/मुहर के साथ संबंधित विद्यार्थी को उपलब्ध करा देंगे और तीसरी प्रति अपने कार्यालय में सुरक्षित रखेंगे।

2. डमी प्रवेश पत्र में यदि किसी प्रकार की त्रुटि (यथा– विद्यार्थी के नाम, माता के नाम, पिता के नाम के स्पेलिंग में त्रुटि हो, विषय, लिंग, दिव्यांग कोटि, धर्म, जन्मतिथि, फोटो व हस्ताक्षर आदि) पाई जाती है तो संबंधित विद्यार्थी उसमें वांछित संशोधन कर अपने हस्ताक्षर के साथ अपने संस्थान के प्राचार्य को उपलब्ध करा देंगे। त्रुटि सुधार हेतु हस्ताक्षर के साथ प्राप्त डमी प्रवेश पत्र को महाविद्यालयी अभिलेखों से मिलान कर संतुष्ट होने के उपरान्त ही संस्थान के प्राचार्य पोर्टल पर वांछित संशोधन करेंगे। निर्धारित अवधि के पश्चात् त्रुटि सुधार का कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।

3. पी॰आर॰ 92/2025 एवं पी॰आर॰ 104/2025 के क्रम में सूचित किया जाता है कि निर्धारित अवधि तक ऑनलाईन जमा किए गए परीक्षा शुल्क से संबंधित संस्थान तथा वैसे संस्थान जिनके द्वारा विद्यार्थियों का परीक्षा शुल्क एवं आवेदन पत्र जमा नहीं किया गया है, संबंधित संस्थान के प्राचार्य लंबित परीक्षा आवेदन पत्र **दिनांक 13.05.2025 से 17.05.2025 तक** की अवधि में निश्चित रूप से जमा करना सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु समिति का पोर्टल खुला रहेगा। उक्त अवधि में लंबित परीक्षा आवेदन पत्र जमा नहीं करने की स्थिति में संबंधित विद्यार्थियों का मूल प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा। मूल प्रवेश पत्र जारी नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप यदि विद्यार्थी हित के प्रतिकूल कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो इसकी सम्पूर्ण जवाबदेही संस्थान के प्राचार्य/विद्यार्थी की होगी।

परीक्षा नियंत्रक (विविध)

विज्ञप्ति संख्या – पी॰आर॰ 120/2025